

बिहार सरकार  
कृषि विभाग।

पत्र सं०:- पी०पी०एम०-45/2016-

4814

/कृ०, पटना दिनांक 15-11-2016

शुद्धि पत्र

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3830, 3831 एवं 3832 दिनांक 01.09.2016 की कंडिका-10 में निम्न वाक्यांश जोड़े जाते हैं,

“राशि की निकासी निदेशक, उद्यान द्वारा बी०टी०सी० फार्म-42 पर सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।”

2. अन्य सभी शर्तें पूर्ववत रहेंगी।
3. प्रस्ताव में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

(रामजी सिंह)

सरकार के विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - पी०पी०एम०-45/2016 4814 /कृ०, पटना दिनांक 15-11-2016

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार, बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - पी०पी०एम०-45/2016 4814 /कृ०, पटना दिनांक 15-11-2016

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - पी०पी०एम०-45/2016 4814 /कृ०, पटना दिनांक 15-11-2016

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - पी०पी०एम०-45/2016 4814 /कृ०, पटना दिनांक 15-11-2016

प्रतिलिपि- माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/ कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/ मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम० कृषि विभाग, बिहार, पटना/ सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/ बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

Pipatti